

26.06.2024 पत्रवली पेश हुई।

प्राथमिक एवं आधिकारिक प्राथमिक-अनुपस्थित।
रुठ-रुठ कर तीन बार आवाज लगवई
गई, बावजूद इसके कोई उत्तर नहीं मिला।
प्रतीत होता है कि प्राथमिक एवं आधिकारिक
प्राथमिक अपने प्राथमिक-पत्र को लेकर गम्भीर
नहीं हैं अतः प्राथमिक-पत्र अडम लाजिरी, अडम
पैरवी इति स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रवली प्रेमल शुभार
लेटर नम्बर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर की।

(पमि)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) साचौर